न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।

मुकदमा सं0— 862/2019

सरकार	प्रति	गुलाब सिंह मु0अ0सं0—64/2019 धारा—60 आबाकारी अधिनियम थाना कदौरा, जिला जालौन।

आरोप

मैं, रागिनी मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, आप अभियुक्त **गुलाब सिंह पुत्र श्री संतराम** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँः—

1— यह कि दिनांक 13.05.2019 को समय करीब 01.10 बजे, स्थान सड़क पटरी के किनारे करीब 20 कदम बहद ग्राम बागी, थाना कदौरा, जिला जालौन में पुलिस बल द्वारा आपके कब्जे से 20 अदद क्वार्टर देशी शराब बरामद किया गया, जिसको रखने का लाईसेन्स आपके पास नहीं था। इस प्रकार आपने आबकारी अधिनियम की धारा—60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 24.08.2021

(रागिनी मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांकः 24.08.2021

(रागिनी मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।